संख्या: 24/2018/1801/12-2-2018-24/2018

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2018

विषय: केन्द्र पोषित योजनाओं में विभिन्न फसलों की उन्नतिशील प्रजातियों के प्रमाणित एवं संकर बीजों पर अनुमन्य अनुदान में वृद्धि के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा देय विशेष अनुदान की नयी व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: एस0एफ0/342 टी/29-टी/कैबीनेट नोट/4.सीएन-सब्सिडी/2018-19 दिनांक 10 मई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पोषित योजनाओं में विभिन्न फसलों की उन्नतिशील प्रजातियों के प्रमाणित एवं संकर बीजों पर अनुदान की अनुमन्यता में हुए परिवर्तन के दृष्टिगत वर्ष 2018-19 से प्रदेश में विभिन्न फसलों के बीजों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0सं0	फसल/प्रजाति अवधि	केन्द्रीय अनुदान (रू0/कुं0)	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित देय अनुदान (रू0/कुं0)	आच्छादित जनपदों की संख्या
1	धान/गेहूँ			
	10 वर्ष से कम अवधि	2000	600	समस्त जनपद
	10 वर्ष से अधिक अवधि	1000	300	समस्त जनपद
2	जौ			
	10 वर्ष से कम अवधि	3000		एन0एफ0एस0एम0 अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	10 वर्ष से अधिक अवधि	1500		आच्छादित 19 जनपद
	10 वर्ष से कम अवधि		3000	एन0एफ0एस0एम0 से अनाच्छादित 56 जनपद
	10 वर्ष से अधिक अवधि		1500	
3	मक्का			
	10 वर्ष से कम अवधि	3000		एन0एफ0एस0एम0 अन्तर्गत आच्छादित 13 जनपद
	10 वर्ष से अधिक अवधि	1500		
	10 वर्ष से कम अवधि		3000	एन0एफ0एस0एम0 से अनाच्छादित 62 जनपद
	10 वर्ष से अधिक अवधि		1500	
4	ज्वार			
	10 वर्ष से कम अवधि	3000		एन0एफ0एस0एम0 अन्तर्गत आच्छादित 05 जनपद
	10 वर्ष से अधिक अवधि	1500		
	10 वर्ष से कम अवधि		3000	एन0एफ0एस0एम0 से अनाच्छादित 70 जनपद
	10 वर्ष से अधिक अवधि		1500	
5	बाजरा			
	10 वर्ष से कम अवधि	3000		एन0एफ0एस0एम0 अन्तर्गत आच्छादित 19 जनपद
	10 वर्ष से अधिक अवधि	1500		
	10 वर्ष से कम अवधि		3000	एन0एफ0एस0एम0 से अनाच्छादित 56 जनपद
	10 वर्ष से अधिक अवधि		1500	
6	कदन्नों			

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	10 वर्ष से कम अवधि	3000		एन0एफ0एस0एम0 अन्तर्गत आच्छादित एक जनपद
	10 वर्ष से अधिक अवधि	1500		
	10 वर्ष से कम अवधि		3000	एन0एफ0एस0एम0 से अनाच्छादित 74 जनपद
	10 वर्ष से अधिक अवधि		1500	
7	दलहनी फसलें-खरीफ/रबी			
	10 वर्ष से कम अवधि	5000	2000	समस्त जनपद
	10 वर्ष से अधिक अवधि	2500	1000	
8	तिलहनी फसलें-खरीफ (तिल को छोडकर)/रबी			
	15 वर्ष तक अवधि	4000	1500	समस्त जनपद
9	तिलहन-तिल			
	15 वर्ष तक अवधि	8000	1500	समस्त जनपद
10	संकर धान			
	अधिसूचित प्रजातियॉ	10000	5000	समस्त जनपद
11	संकर मक्का, संकर ज्वार एवं संकर बाजरा			
	अधिसूचित प्रजातियॉ	10000	5000	एन0एफ0एस0एम0 अन्तर्गत आच्छादित जनपद
	अधिसूचित प्रजातियॉ		15000	एन0एफ0एस0एम0 अन्तर्गत अनाच्छादित जनपद

कृषकों को केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान तथा राज्य सरकार से देय विशेष अनुदान बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक ही उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. केन्द्र पोषित योजना से किसी फसल विशेष हेतु अनाच्छादित जनपदों में उस फसल विशेष के उन्नतिशील प्रमाणित/संकर बीज वितरण पर कृषकों को बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान की धनराशि राज्य सरकार की "प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना" एवं "संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना" से उपलब्ध कराया जायेगा।

4. खरीफ, रबी, जायद में विभिन्न फसलों के उन्नतिशील प्रजातियों के प्रमाणित/ संकर बीज वितरण के सकल भौतिक लक्ष्यों में से केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्यों से अधिक वितरित बीज पर राज्य सरकार द्वारा बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान की धनराशि की व्यवस्था "प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना" एवं "संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना" से किया जायेगा।

5. शासनादेश संख्या: 17/2018/1365/12-2-2018-17/2018 दिनांक 08 मई, 2018 द्वारा बुन्देलखण्ड में खरीफ आच्छादन वृद्धि की योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक खरीफ की समस्त फसलों की उन्नतिशील प्रजातियों के बीज पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 80 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान अनुमन्य किया गया है जिसको यथावत बनाये रखते हुए बुन्देलखण्ड में खरीफ, 2018 से 2021 तक केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों से अधिक वितरित बीजों तथा केन्द्रीय योजनाओं से अनाच्छादित जनपदों में विभिन्न फसलों के उन्नतिशील प्रमाणित/संकर बीजों के वितरण पर 80 प्रतिशत तक का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।

6. वित्तीय वर्ष 2018-19 में खरीफ, रबी एवं जायद में केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान पर उन्नतिशील प्रजातियों के प्रमाणित/संकर बीज वितरण के निर्धारित भौतिक लक्ष्यों से अधिक बीज वितरण एवं केन्द्रीय योजनाओं से अनाच्छादित जनपदों में वितरित प्रमाणित/संकर बीज पर राज्य सरकार द्वारा बीज मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान उपलब्ध कराए जाने पर अनुमानित वित्तीय आवश्यकता निम्नवत है:-

विवरण	अनुमानित कुल लक्ष्य (लाख कुं0)	केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत अनुमानित भौतिक लक्ष्य (कुं0)	राज्य सरकार की योजनान्तर्गत अनुमानित भौतिक लक्ष्य (कुं0)	राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान की अनुमानित धनराशि (लाख रू0)
प्रमाणित बीज वितरण	9.37	8.23	1.14	1902.00
संकर बीज वितरण	0.34	0.31	0.03	1680.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. एक कृषक को अधिकतम 2.00 हे0 क्षेत्र हेतु प्रमाणित/संकर बीज पर विशेष अनुदान देय होगा तथा उक्त सुविधा का लाभ कृषकों को "प्रथम आवक-प्रथम पावक" के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा। कृषकों को देय विशेष अनुदान उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

8. राज्य सरकार द्वारा "प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना" एवं "संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना" अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के लिए आय-व्ययक में क्रमश: रूपये 55.00 करोड एवं रूपये 25.00 करोड की धनराशि का प्राविधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा देय विशेष अनुदान की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में प्रमाणित/संकर बीज वितरण पर प्रस्तावित विशेष अनुदान को अनुमन्य किए जाने के परिणामस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को उक्त दोनों योजनाओं के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा। आगामी वर्षो में निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के अनुसार संबंधित वित्तीय वर्ष में यथा आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करायी जायेगी।

9. कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।